

(आदेश 20 नियम 6,7 जा,दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी

श्री गजानन्द जांगीड़ आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी

1- मोहनसिंह उर्फ मोहन मुत.पिता भग्गा मीणा निवासी पण्डेडा तह.बडीसादडी  
-- वादी


|| बनाम ||

- 1-श्रीमति नानीबाई पुत्री भग्गा मीणा पति हीरा मीणा निवासी हाल बोरापानी कालीभीत तह.लसाडिया जिला उदयपुर
- 2-श्रीमति कालीबाई पुत्री भग्गा मीणा पति उंकार मीणा निवासी पारसोली तह.बडीसादडी
- 3-तहसीलदार भूमिधारी बडीसादडी


-प्रतिवादीगण

प्रकरण सं. 14/2017 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,209,188 आर. टी.ए. वादी की ओर से वकील अनिल सोनावी और प्रतिवादी की ओर से वकील एक्स पार्टी उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है

मौजा पण्डेडा की आ.न. 743,799,806,807,808,810,811,818,827,837,841, कुल किता 11 रकबा 3.38 है. भूमि व आ.न. 507 रकबा 0.41 है. भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है प्रतिवादी न. 1 व 2 का नाम विलोपित किया जावे। मौजा मुकनपुरा की आ.न. 20,35,36, कुल किता 03 रकबा 1.69 हैक्टर भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा घोषित किया जाता है। मृतक भगला पिता धन्ना का नाम विलापित किया जावे इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित... को दी जावे। यह आज दिनांक 17.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

  
(गजानन्द जांगीड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बडीसादडी

क्रमांक/राजस्व/2019/ 203 दिनांक:- 21-10-19  
मुल ही डिग्री की प्रति तहसीलदार बडीसादडी को भेजकर लेख है कि डिग्री अनुसार कर पालना कर रिपोर्ट भिजावे।

  
(गजानन्द जांगीड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बडीसादडी

